[2018] 11 एस.सी.आर. 690

मीना वर्मा

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5710/2018)

सितम्बर 19, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून*:*

चयन – उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अंशकालिक महिला सदस्य के रूप में – प्रतिवादी *(*उम्मीदवार*)* और अपीलकर्ता *(*अन्य उम्मीदवार*)* ने समान अंक प्राप्त किए – चयन सूची में प्रतिवादी को अपीलकर्ता से ऊपर रखा गया – प्रदर्शन के अनुसार सूची तैयार की गई, राज्य सरकार ने अपीलकर्ता ने अपने बेहतर सार्वजनिक अनुभव के आधार पर – चयन को चुनौती देने वाली रिट याचिका – उच्च न्यायालय ने चयन को रद्द कर दिया। अपील पर, माना गया*:* चूंकि उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा प्रतिवादी को चयन सूची में ऊपर रखा गया था, वह अपीलकर्ता की तुलना में अधिक उपयुक्त थी – सार्वजनिक अनुभव के अलावा, किसी भी नियम या किसी कार्यकारी निर्देश के अभाव में चयन के लिए अनावश्यक था – उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: चयन समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई और अन्य सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (एफसीएस एवं सीए) और प्रमुख सचिव (कानून), हिमाचल प्रदेश सरकार थे। समिति ने "उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर" वाक्यांश का प्रयोग किया था। महिला सदस्यों के लिए पैनल तैयार किया गया। इसने प्रतिवादी संख्या 2 को क्रम संख्या 2 पर और अपीलकर्ता को क्रम संख्या 3 पर रखा था। समिति ने प्रदर्शन के अनुसार सूची तैयार की थी और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 अपीलकर्ता की तुलना में अधिक उपयुक्त थी। अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार ने कोई कारण नहीं बताया था। हालाँकि, प्रमुख

सचिव ने यह नोट दिया था कि "वर्तमान अपीलकर्ता के पास सार्वजनिक अनुभव था" और उस आधार पर, मुख्यमंत्री ने फ़ाइल पर हस्ताक्षर किए और अधिसूचना जारी की गई। मामला अलग होता अगर राज्य सरकार को पैनल से किसी व्यक्ति को चुनने का अधिकार देने वाला नियम होता। किसी नियम या किसी कार्यकारी निर्देश के अभाव में, जब समिति ने प्रदर्शन के आधार पर एक पैनल तैयार किया था और उक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को क्रम में रखा था, तो उच्च न्यायालय ने सही राय व्यक्त की कि सार्वजनिक अनुभव को जोड़ना अनावश्यक था. [पैरा 12] [698–सी–एफ]

एस. चंद्रमोहन नायर बनाम जॉर्ज जोसेफ और अन्य (2010) 12 एससीसी 687 पर भरोसा किया गया।

केरल राज्य और अन्य बनाम के. रेघू वर्मा और अन्य एआईआर 2010 केरल 28 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

एआईआर 2010 केरल 28 के पैरा 7 को संदर्भित किया।

(2010) 12 एससीसी 687 के पैरा 7 पर निर्भर किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील संख्या 5710/2018

2017 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1571 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 12.12.2017 से उत्पन्न।

रीतेश खत्री, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

अभिनव मुखर्जी, एएजी, एच.पी., बिहू शर्मा, सिद्धार्थ गर्ग, अमित सिंह चंदेल, अभिजात पी. मेध, अमन पार्थ, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. दूसरे प्रतिवादी ने, हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में, 'आयोग') में अंशकालिक महिला सदस्य के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति से व्यथित होकर उसी पर प्रतिवाद किया था और शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सी.डब्ल्यू.पी. 1571/2017 दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.12.2017 के आक्षेपित निर्णय

और आदेश द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और आयोग को रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए निर्देश दिया, अन्य बातों के साथ–साथ, कि वह आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की तुलना में मेधावी और अधिक अनुभवी है। अत: विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई।

2. जिन तथ्यों को गिनाना आवश्यक है, वे यह हैं कि 25.04.2016 को, विभिन्न जिला मंचों के लिए अन्य रिक्तियों के साथ–साथ अंशकालिक महिला सदस्य का एक पद, प्रमुख सचिव,(खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित किया गया था। विज्ञापन में योग्यताएँ निर्धारित की गईं, अर्थात्, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होगी; कि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए; और उसे अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से निपटने में कम से कम दस वर्षों का ज्ञान और अनुभव रखने वाली योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। इसमें आगे उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार नियुक्त अंशकालिक सदस्य आयोग के मामले में पांच साल की अवधि या 67 वर्ष की आयु तक और जिला उपभोक्ता फोरम के मामले में 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा। चयन समिति जिसके अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष थे, ने 02.07.2016 को साक्षात्कार आयोजित किया और समिति ने आयोग के सदस्य के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चार नामों की सिफारिश की। चयन सूची में प्रतिवादी क्रमांक. 2 और अपीलकर्ता क्रमशः 2 और 3 क्रमांक पर प्रस्तुत हुए। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि उसकी नियुक्ति पहले ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किसी पद पर हो चुकी थी। पहले प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में चुना। दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए, उसने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. प्रतिवादी संख्या 2, रिट याचिकाकर्ता की ओर से, उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि जब चयन समिति की सिफारिश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसने साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर एक पैनल तैयार किया था और जब उसका नाम क्रम संख्या 2 में रखा गया था, तब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

4. पहले प्रतिवादी ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए उपरोक्त रुख का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता और चयनित उम्मीदवार ने समान अंक प्राप्त किए थे और राज्य सरकार ने उस उम्मीदवार का चयन अपने सार्वजनिक अनुभव के आधार पर किया जिसका नाम क्रम संख्या 3 में था। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि चयन समिति का कर्तव्य और जिम्मेदारी आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करना है और नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित और नामांकित पैनल किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। पहले प्रतिवादी के अनुसार, केवल इसलिए कि रिट याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 2 पर रखा गया था और चयनित उम्मीदवार से उम्र में वरिष्ठ है, वह

अधिकार के तौर पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती है और इसलिए, चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती है।

5. हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया और उस पर लिए गए फैसले से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए। फ़ाइल में टिप्पणियाँ निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत की गई हैं: –

"एन/155:–

यह पता चला है कि राज्य उपभोक्ता आयोग में, क्रमांक 1 पर अनुशंसित उम्मीदवार (डॉ. करुणा मखान) सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी नियुक्ति पर 24.09.2016 को एचपीयू में अपनी सेवा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में, यदि प्रस्ताव दिया जाता है तो वह अब इस पद को स्वीकार करना पसंद नहीं करेंगी...कृपया प्रस्तुत किया गया।

एसडी/–

5–10–2016

पीआर. सचिव. ((FCS&CA)

एन/156:

राज्य आयोग के लिए दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं। सार्वजनिक अनुभव के आधार पर श्रीमती. मीना वर्मा की नियुक्ति हो सकती है. जिला मंचों के लिए, एन 147 से 150 देखा जाना चाहिए।

एसडी/–

प्रमुख सचिव

माननीय मंत्री एफ एंड सीएस

5/10

एसडी/– (मंत्री) 6/10

माननीय मुख्यमंत्री"

6. उपरोक्त निर्णय के आधार पर, अपीलकर्ता को नियुक्त किया गया और वह अंशकालिक सदस्य के रूप में आयोग में सेवा करता रहा। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय चयनित उम्मीदवार के सार्वजनिक अनुभव से संबंधित कारणों से संतुष्ट नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले) को अदालत की सहायता करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ बयान दिये जो दिनांक 04.12.2017 के आदेश से परिलक्षित होते हैं। उक्त कथन निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:–

"श्री तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

हमें सूचित किया गया है कि प्रचलित प्रथा के अनुसार, चयन समिति पैनल तैयार करती है और उसे जिला उपभोक्ता मंच और एच.पी. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला में सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्तुत करती है । पहले भी, मंत्री/मुख्यमंत्री ने पैनल में सूचीबद्ध उम्मीदवार की स्थिति का पालन किए बिना ऐसे सदस्यों की नियुक्ति का आदेश दिया है, इसलिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कोई नियम, दिशानिर्देश या निर्देश अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं। श्री कपूर के अनुसार, जिला उपभोक्ता मंच और राज्य निवारण आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने का मामला विभाग के विचाराधीन है। इसी पृष्ठभूमि में, इस याचिका पर आगे और उस सूची के लिए 11.12.2017 को सुनवाई होनी है।"

7. जैसा कि आक्षेपित आदेश से पता चलता है, उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और राय दी कि राज्य सरकार ने रिट याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया है और उसकी कार्रवाई मनमानी है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के गैर–अनुपालन को आमंत्रित करती है। कोर्ट ने कहा कि यह कल्पना से भी परे है कि अपीलकर्ता, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष निजी प्रतिवादी, को रिट याचिकाकर्ता की तुलना में बेहतर सार्वजनिक अनुभव है, जबकि वह पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक वरिष्ठ है। उच्च न्यायालय का विचार था कि आयु में वरिष्ठ व्यक्ति के पास सार्वजनिक अनुभव सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर अनुभव होगा और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता जिसने वर्ष 1992 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था और तब से प्रभावी कानूनी अभ्यास में है, वो भी न केवल उच्च न्यायालय में, बल्कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम सहित विभिन्न अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों में भी, इसीलिए वे निजी प्रतिवादी की तुलना में, निश्चित रूप से विभिन्न सामाजिक समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसके आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में विवरण, वह वाणिज्य में स्नातकोत्तर थी और उसने बिजनेस

एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी की थी, जो योग्यता उसने वर्ष 2012 में हासिल की थी। जबकि निजी प्रतिवादी 2012 तक अध्ययन कर रहा था, रिट याचिकाकर्ता 1992 से प्रभावी कानूनी अभ्यास में था। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह समझ में नहीं आता है कि किस बात ने पहले प्रतिवादी को अपने सार्वजनिक अनुभव को रिट याचिकाकर्ता से बेहतर मानने के लिए प्रेरित किया। इतना कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि यद्यपि राज्य आयोग/जिला उपभोक्ता मंच में सदस्य की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम राज्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं, फिर भी सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों को अपनाया जा सकता है। इस कारण आयोग द्वारा साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार ब्रैकेटेड उम्मीदवारों के मामले में, उम्र और रैंक में वरिष्ठ ब्रैकेटेड उम्मीदवारों को उम्र में कनिष्ठ उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसने आगे देखा कि यद्यपि प्रतिवादी–राज्य पैनल में शामिल उम्मीदवारों में से आयोग के सदस्यों के लिए नियुक्ति कर रहा है, फिर भी यह उनकी योग्यता का पालन करने के लिए बाध्य है और पिक एंड चूज़ नीति की कानून में कोई पवित्रता नहीं है। इसने दोनों उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करते हुए कहा कि रिट याचिकाकर्ता अधिक मेधावी था, चयनित उम्मीदवार की तुलना में शैक्षणिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में अनुभव होना आवश्यक था। इसने केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य और एक अन्य बनाम रेघु वर्मा और अन्य के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि केरल राज्य में एक प्रचलित नियम है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसा नहीं है। एस. चंद्रमोहन नायर बनाम जॉर्ज जोसेफ और अन्य के फैसले पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि उसमें बताए गए सिद्धांत रिट याचिकाकर्ता के रुख का समर्थन करते हैं क्योंकि राज्य सरकार की ओर से उम्मीदवार का इस आधार पर चयन करने का कोई औचित्य नहीं था कि उनके पास सार्वजनिक अनुभव अधिक है।

8. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री रितेश खत्री, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अभिनव मुखर्जी, प्रतिवादी संख्या 1–राज्य के वकील एवं श्री अमित सिंह चंदेल, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील को सुना है।

9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने चयन के उद्देश्य से कोई नियम नहीं बनाए हैं। एस. चंद्रमोहन नायर (उपरोक्त) मामले में, दो–न्यायाधीशों की पीठ एक ऐसी स्थिति से निपट रही थी जिसमें केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका की अनुमति दी थी और केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इस न्यायालय ने नियमों, अर्थात् केरल उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2005 का उल्लेख किया और राय दी: –

"17. इन प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि न्यायिक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है. यदि चयन समिति के अध्यक्ष और/या सदस्य किसी व्यक्ति विशेष की उम्मीदवारी पर सहमत नहीं हैं, तो बहुमत की राय चयन समिति की सिफारिश मानी जाएगी। हालाँकि, राज्य सरकार चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि वह

सिफारिशों को स्वीकार नहीं करना चाहती है, तो इसके कारण बताकर ऐसा करने को दर्ज करना होगा। राज्य सरकार चयन समिति की सिफारिशों को मनमाने ढंग से नजरअंदाज या अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति न्यायिक जांच के अधीन है, तो सिफारिश सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करना उसका कर्तव्य है। अदालत के समक्ष चयन समिति को यह दिखाना होगा कि सिफारिश को स्वीकार न करने के वैध कारण थे।"

इसके अलावा, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा:–

"19. 2007 की रिट अपील संख्या 968 पर निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय की खंडपीठ इस तथ्य से अनुचित रूप से प्रभावित थी कि चयन समिति के अध्यक्ष ने शुरू में असहमति दर्ज की थी और मिनटों के अंत में उन्होंने अलग से सुझाव देते हुए एक नोट संलग्न किया था कि उनके और दो सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं था और निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश केवल अध्यक्ष द्वारा की गई थी, सदस्यों द्वारा नहीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि डिवीजन बेंच का ध्यान 2006 की रिट याचिका संख्या 13058 में श्रीमती शीला थॉमस द्वारा दायर हलफनामे पर नहीं गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ता सहित तीन नामों के एक पैनल की राज्य सरकार को सिफारिश की गई थी और मतभेद केवल श्री के.वी.थॉमस की उम्मीदवारी पर था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की उचित सहायता की होती, तो उसने यह टिप्पणी दर्ज नहीं की होती कि अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश केवल अध्यक्ष द्वारा की गई थी, सदस्यों द्वारा नहीं।

20. इसके अलावा, जैसा भी हो, हम आश्वस्त हैं कि अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश चयन समिति के पूरे निकाय यानी अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई थी। यदि ऐसा नहीं होता, तो सभापति द्वारा दर्ज किए गए मिनटों के बारे में पता चलने पर, दोनों सदस्यों में से किसी एक ने विरोध दर्ज कराया होता या राज्य सरकार को संचार भेजा होता कि उन्होंने अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की है और वह मिनट्स अध्यक्ष द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट वास्तविक सिफ़ारिशों को प्रतिबिंबित नहीं करती। हालाँकि, मामले की सच्चाई यह है कि दोनों में से किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और न ही राज्य सरकार को कोई सूचना भेजी। इसलिए, 2007 की रिट अपील संख्या 968 में डिवीजन बेंच द्वारा की गई विपरीत टिप्पणियों को गलत नहीं कहा जा सकता है और अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।"

10. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी नं. 2 को समान अंक प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने अपीलकर्ता को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो क्रम संख्या 3 पर था। इस आधार पर कि उनके पास बेहतर सार्वजनिक अनुभव था। एस चंद्रमोहन नायर (उपरोक्त) में, नियम ने सरकार को कारण बताकर पैनल से किसी एक

उम्मीदवार का चयन करने की शक्ति प्रदान की थी। न्यायालय की राय थी कि अपीलकर्ता के मामले को मनमाने ढंग से नजरअंदाज किया गया और तदनुसार, उसने उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को खारिज कर दिया।

11. वर्तमान मामले में, चयन समिति ने देखा:–

"उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, हम प्रत्येक रिक्ति के लिए अलग से तैयार किए गए निम्नलिखित पैनलों में से राज्य आयोग और विभिन्न जिला मंचों के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं:

महिला सदस्य, एच.पी. राज्य उपभोक्ता आयोग:

क्रम संख्या ——नाम——अर्जित अंक

1. डॉ. करुणा मच्छन——14/20

2. सुश्री सुनीता शर्मा——11/20

3. श्रीमती मीना वर्मा——11/20

4. श्रीमती योगिता दत्ता——10/20

12. इसका अवलोकन करने पर, यह ध्यान देने योग्य है कि समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ने की थी और अन्य सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (एफसीएस और सीए) और प्रमुख सचिव (कानून), हिमाचल प्रदेश सरकार। समिति ने "उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर" वाक्यांश का प्रयोग किया था। महिला सदस्यों के लिए पैनल तैयार किया गया। इसने प्रतिवादी क्रमांक 2 को क्रमांक 2 पर और वर्तमान अपीलकर्ता क्रमांक क्रमांक 3 पर थे। जैसा कि प्रतीत होता है, समिति ने प्रदर्शन के अनुसार सूची तैयार की थी और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 अपीलकर्ता से अधिक उपयुक्त था। अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार ने कोई कारण नहीं बताया था। हालाँकि, जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है, प्रमुख सचिव ने एक नोट दिया था कि "वर्तमान अपीलकर्ता के पास सार्वजनिक अनुभव था" और उस आधार पर, मुख्यमंत्री ने फ़ाइल पर हस्ताक्षर किए और अधिसूचना जारी की गई। मामला अलग होता अगर राज्य सरकार को पैनल से किसी व्यक्ति को चुनने का अधिकार देने वाला नियम होता। किसी नियम या किसी

कार्यकारी निर्देश के अभाव में, जब समिति ने प्रदर्शन के आधार पर एक पैनल तैयार किया था और उक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को क्रमबद्ध किया था, तो हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि उच्च न्यायालय ने सही राय व्यक्त की है सार्वजनिक अनुभव को शामिल करना अनावश्यक था।

13. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हमें इस अपील में कोई मेरिट नहीं दिखती है और तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज।

Translated By:
Rang Nath Tripathi
Advocate